

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 1094/11-सी- FP/UP/Others /150354/2021 लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 25, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:— जनपद बिजनौर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा बहसूमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग (एस०एच०-147) किमी० चैनेज 80.207 की दायीं पटरी पर ग्राम नवादा केशो, तहसील धामपुर की खसरा/गाटा संख्या-155 व 156, पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1847 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others /150354/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, बिजनौर की संस्तुति सहित परिवेश पोर्टल-1.0 में ऑनलाईन प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट अपलोड है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपलोड है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड लैण्डशड्यूल अपलोड है।
5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश अपलोड है।
6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता अपलोड है।
7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता अपलोड है।
8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
9. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के अन्तर्गत 370 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड है।
10. क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड है।
12. प्रस्ताव में 10 किमी० परिधि से बाहर होने के सम्बन्ध में वन्यजीव प्रमाण पत्र अपलोड है।
13. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है।
14. बाधक वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम व व्यासवार सहित अपलोड है।
15. भू-स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड है।
16. भू-स्वाचित्व विभाग का अनुमोदित ले-आउट प्लान अपलोड है।
17. प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाईल।

संलग्नक-संस्तुति पत्र।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1094/11-सी FP/UP/Others /150354/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग, बिजनौर।
- 3— प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others /150354/2021

➤	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।	25/10/23 की सस्ती के आधार पर स्वीकृति की जाती है ।
➤	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं ।	

हस्ताक्षर :-

नाम :-

सरकारी मुहर :-

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

तिथि :- 25/10/23

दिनांक :-